फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान कालूराम बनाम जमीला

मुकदमा संख्या-22/-2023

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मनन कर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वाद बहुलता को रोकने हेतु न्यायालय उभयपक्षों को ग्राम कवंर का बास, प0ह0 दुर्जनियावास, भू0अ0 नि0 क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड स्थित खसरा नम्बर 185/263 रकबा 3.0857 है0, खसरा नम्बर 116/1 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.6829 है0, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 1.5176 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0. 9738 भूमि पर ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सरिता शर्मा (आर0ए0एस0)

टी0आई0 22/2023 उनवान कालूराम बनाम जगदीश

निर्णय दिनांक 30/7/24

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सार संक्षेप में इस प्रकार है:– प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम कवंर का वास, प0ह0 दुर्जनियावास, भू0अ0 नि0 क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड स्थित खसरा नम्बर 185/263 रकबा 3.0857 है0, खसरा नम्बर 116/1 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.6829 है0, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 1.5176 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.9738 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जिस पर प्रार्थी खातेदार काश्तकार की हैसियत से अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी सहखातेदारी की भूमि है, अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। एक खातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी सहखातेदारी की भूमि है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज–काश्त है, परन्तु जमाबंदी में हिस्सा गलत अंकित है। काउन्टर क्लेम की घोषणा के बाद ही भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 एवं 05 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्षों की दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम कवंर का बास, प0ह0 दुर्जनियावास, भू0अ0 नि0 क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड स्थित खसरा नम्बर 185/263 रकबा 3.0857 है0, खसरा नम्बर 116/1 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.6829 है0, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 1.5176 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.9738 भूमि पर उभयपक्षों को ताफ़ैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जनम्बर से कम हो।

(डॉ.सरिता शर्मा)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम